न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 96/2023/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 07.06.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. सीताराम पुत्र स्व० श्री गोपाल आयु 40 वर्ष जाति–गुर्जर
2. दीनदयाल पुत्र स्व० श्री गोपाल आयु–38 वर्ष जाति–गुर्जर
3. शिशुराम पुत्र स्व० श्री गोपाल आयु–28 वर्ष जाति–गुर्जर

निवासीगण –देवपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी

...अपीलान्ट्स

बनाम

1. गोविन्दराम पुत्र स्व. फूलचंद जाति गुर्जर निवासी देवपुरा तह. व जिला बून्दी
2. रामकेश पुत्र स्व. फूलचंद जाति गुर्जर निवासी देवपुरा तह. व जिला बून्दी
3. लोकेश पुत्र स्व. फूलचंद जाति गुर्जर निवासी देवपुरा तह. व जिला बून्दी
4. कौशल्या पुत्री स्व. फूलचंद पत्नी नन्दा जाति गुर्जर निवासी–छत्रपुरा तह. जिला बून्दी राज.
5. सुशीला पुत्री फूलचंद पत्नी किशन जाति गुर्जर निवासी तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी राज.
6. राधाबाई पुत्री स्व. सेवा पत्नी किशनलाल जाति गुर्जर निवासी मीरागेट बून्दी राजस्थान
7. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बून्दी

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री महेश शर्मा अभिभाषक –अपीलांट्स
श्री विनोद श्रृंगी अभिभाषक –रेस्पो0 क्र. 2 लगायत 6
पेरोकार सरकार – रेस्पो क्र. 7

::निर्णय::

दिनांक 28.01.2025

अपीलार्थीगण ने न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) प्रकरण संख्या 111/2017 बउनवान गोविन्दराम बनाम सीताराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2022 (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 234 दिनांक 13.06.1982 ग्राम देवपुरा खातेदार सेवा आ. भूरा कौम गूजर के

28/1/2025
अति.

फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किये जाने पर उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध रेस्पो0 क्र. 1 गोविन्दराम ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के यहां पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा प्रकरण में रेस्पो0 क्र0 1 गोविन्दराम की अपील निर्णय दिनांक 20.12.2022 से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित नामान्तरकरण 234 दिनांक 13.06.1982 निरस्त किया जाकर तहसीलदार बून्दी को प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर आदेश दिये गये कि वे मामले में खातेदार सेवा आ. भूरा के सभी विधिक वारिसान की जांच कर उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, साक्ष्य रेकार्ड पर लेकर विधिसम्मत निर्णय पारित कर नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक करने की नियमान्तर्गत कार्यवाही करे।

2. अपीलांट्स द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के निर्णय दिनांक 20.12.2022 से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–76 अन्तर्गत द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई और कथन किया कि रेस्पो. क्रम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी के यहां तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 234 दिनांक 13.06.1982 ग्राम देवपुरा जिला बून्दी के विरूद्ध दिनांक 28.06.2017 को (35 वर्ष बाद) अपील प्रस्तुत की गई उक्त अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश होने के बावजूद देरी के कारण को बिना आधार के कन्डोन करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना आधार के कन्डोन करते हुये अपील स्वीकार कर नामांतरकरण निर्णय दिनांक 20.12.2022 से निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी का निर्णय न्याय, कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट क्रम 1 गोविन्दराम द्वारा 35 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई अपील को मियाद मे मानकर त्रुटि की है जबकि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की अपील अधीनस्थ न्यायालय को अत्यधिक विलम्ब से पेश किये जाने के कारण मियाद बाहर मानकर मियाद के बिन्दु पर ही खारिज कर देना चाहिये था, ऐसा ना करके अधीनस्थ न्यायालय नें गंभीर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित रेस्पोडेन्ट क्रम 3 गिरिराज की मृत्यु दौराने अपील हो चुकी थी जिसकी जानकारी गोविन्दराम (रेस्पो. क्र. 1) को थी परन्तु इसके बावजूद कायमुकामी की कार्यवाही नही की तथा मृत व्यक्ति के विरूद्व निर्णय किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित विजय (रेस्पो क्रम 5) का भी निधन दौराने अपील हो चुका है परन्तु मृत व्यक्ति का नाम भी निर्णय में अंकित है। रेस्पो. क्रम. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में सेवा के पुत्र रामधन के उत्तराधिकारीयों को पक्षकार ही नही बनाया जबकि अपीलाधीन नामांतरण संख्या 234 दिनांक 13.06.1982 रामधन के पक्ष मे भी तस्दीक किया गया था। रामधन के 2 पुत्र (भरतराम व हरिराम) है तथा 3 पुत्रियां (गुलफी बाई, छोटा बाई व मंजू बाई) है। जो आवश्यक पक्षकार थे, आवश्यक पक्षकार के अभाव मे गोविन्दराम की अपील नॉन जोयन्डर ऑफ पार्टीज के दोष के कारण खारिज करना चाहिये था ऐसा न करके अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर कानूनी त्रुटि की है। इसी प्रकार सेवा की पुत्री मांगीबाई पत्नी फुलचंद के पुत्र राजू अर्थात् गोविन्दराम के सगे भाई के उत्तराधिकारियों (सुगना (पत्नी), रघुराम, राकेश (पुत्रगण) शिमला, विमला, (पुत्रिया) को भी अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही बनाया, जिसके अभाव मे अपील खारिज की जानी चाहिये थी, ऐसा न करके अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय मे गोविन्दराम ने तथ्यों को छिपाते हुये अपील पेश की थी क्योंकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बूंन्दी मे इनके द्वारा वाद बाबत अधिकार घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया हुआ है उसमें अपीलाधीन नामांतरण को प्रभावशुन्य घोषित करने की प्रार्थना की गई है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय (जिला कलेक्टर बून्दी) का निर्णय दिनांक 20.12.2022 निरस्त फरमाया जावें।

28/1/2025

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट क्रम 1 गोविन्दराम द्वारा 35 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई अपील को अत्यधिक विलम्ब से पेश किये जाने के कारण मियाद बाहर मानकर मियाद के बिन्दु पर ही खारिज कर देना चाहिये था, ऐसा ना करके अधीनस्थ न्यायालय नें गंभीर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित रेस्पोडेन्ट क्रम 3 गिरिराज की मृत्यु दौराने अपील हो चुकी थी जिसकी जानकारी गोविन्दराम (रेस्पो. क्र. 1) को थी परन्तु इसके बावजूद कायमुकामी की कार्यवाही नही की तथा मृत व्यक्ति के विरूद्व निर्णय किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित विजय (रेस्पो क्रम 5) का भी निधन दौराने अपील हो चुका है परन्तु मृत व्यक्ति का नाम भी निर्णय में अंकित है। जबकि मृतक के खिलाफ निर्णय नहीं हो सकता। अपील अबेट हो जानी चाहिए थी। रेस्पो. क्रम. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में सेवा के पुत्र रामधन के उत्तराधिकारीयों को पक्षकार ही नही बनाया जबकि अपीलाधीन नामांतरण संख्या 234 दिनांक 13.06.1982 रामधन के पक्ष मे भी तस्दीक किया गया था। रामधन के 2 पुत्र (भरतराम व हरिराम) है तथा 3 पुत्रियां (गुलफी बाई, छोटा बाई व मंजू बाई) है। जो आवश्यक पक्षकार थे, आवश्यक पक्षकार के अभाव मे गोविन्दराम की अपील नॉन जोयन्डर ऑफ पार्टीज के दोष के कारण खारिज करना चाहिये था ऐसा न करके अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर कानूनी त्रुटि की है। इसी प्रकार सेवा की पुत्री मांगीबाई पत्नी फुलचंद के पुत्र राजू अर्थात् गोविन्दराम के सगे भाई के उत्तराधिकारियों (सुगना (पत्नी), रघुराम, राकेश (पुत्रगण) शिमला, विमला, (पुत्रिया) को भी अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही बनाया, जिसके अभाव मे अपील खारिज की जानी चाहिये थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय मे गोविन्दराम ने तथ्यों को छिपाते हुये अपील पेश की थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं न्यायोचित होने से अपील अपीलान्टस् स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय (जिला कलेक्टर बून्दी) का निर्णय दिनांक 20.12.2022 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2019(3) DNJ(Raj.) Page No. 1252, 2019(4) DNJ (Raj.) Page No. 1400 पेश किये गये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 2 लगायत 6 सुनी गई। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रकरण में उपस्थित होकर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया।

6. हमने अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 234 दिनांक 13.06.1982 ग्राम देवपुरा खातेदार सेवा आ. भूरा कौम गूजर के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किये जाने पर उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध रेस्पो0 क्र. 1 गोविन्दराम ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के यहां पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा प्रकरण में रेस्पो0 क्र0 1 गोविन्दराम की अपील निर्णय दिनांक 20.12.2022 से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित नामान्तरकरण 234 दिनांक 13.06.1982 निरस्त किया जाकर तहसीलदार बून्दी को प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर आदेश दिये गये कि वे मामले में खातेदार सेवा आ. भूरा के सभी विधिक वारिसान की जांच कर उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, साक्ष्य रेकार्ड पर लेकर

28/1/2025

विधिसम्मत निर्णय पारित कर नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक करने की नियमान्तर्गत कार्यवाही करे। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट क्रम 1 गोविन्दराम द्वारा 35 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई अपील को अत्यधिक विलम्ब से पेश किये जाने के कारण मियाद बाहर मानकर मियाद के बिन्दु पर ही खारिज कर देना चाहिये था, ऐसा ना करके अधीनस्थ न्यायालय नें गंभीर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित रेस्पोडेन्ट क्रम 3 गिरिराज की मृत्यु दौराने अपील हो चुकी थी जिसकी जानकारी गोविन्दराम (रेस्पो. क्र. 1) को थी परन्तु इसके बावजूद कायमुकामी की कार्यवाही नही की तथा मृत व्यक्ति के विरूद्व निर्णय किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित विजय (रेस्पो क्रम 5) का भी निधन दौराने अपील हो चुका है परन्तु मृत व्यक्ति का नाम भी निर्णय में अंकित है। जबकि मृतक के खिलाफ निर्णय नहीं हो सकता। अपील अबेट हो जानी चाहिए थी। रेस्पो. क्रम. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में सेवा के पुत्र रामधन के उत्तराधिकारीयों को पक्षकार ही नही बनाया जबकि अपीलाधीन नामांतरण संख्या 234 दिनांक 13.06.1982 रामधन के पक्ष मे भी तस्दीक किया गया था। रामधन के 2 पुत्र (भरतराम व हरिराम) है तथा 3 पुत्रियां (गुलफी बाई, छोटा बाई व मंजू बाई) है। जो आवश्यक पक्षकार थे, आवश्यक पक्षकार के अभाव मे गोविन्दराम की अपील नॉन जोयन्डर ऑफ पार्टीज के दोष के कारण खारिज करना चाहिये था ऐसा न करके अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर कानूनी त्रुटि की है। इसी प्रकार सेवा की पुत्री मांगीबाई पत्नी फुलचंद के पुत्र राजू अर्थात् गोविन्दराम के सगे भाई के उत्तराधिकारियों (सुगना (पत्नी), रघुराम, राकेश (पुत्रगण) शिमला, विमला, (पुत्रिया) को भी अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही बनाया, जिसके अभाव मे अपील खारिज की जानी चाहिये थी। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.12.2022 का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि मांगीबाई एवं राधाबाई के मृतक खातेदार सेवा की पुत्रियां होना प्रकट होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रियां नाम दर्ज करने की अधिकारी होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण निरस्त कर पुनः विधिक वारिसान की जांच कर नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश दिया गया जिसमें कोई विधिक दोष होना प्रकट नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर प्रकरण का निर्णय नहीं कर गुणावगुण पर निर्णय किया गया है। इस संबंध में निम्नानुसार न्यायिक दृष्टांत हमारा मार्गदर्शन करते हैं :–

RRT 2004(1) Page No. 374 :- Limitation Act, 1963- Sec. 5- Dismissal of appeal on the ground of Limitation without looking in merits-Held, before rejecting application u/Sec. 5- and dismissing appeal as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

RRC 1996 Page No. 372 :- Sec. 5, 3 of Limitation Act- If the order passed without jurisdiction then there is no question of limitation to challenge that order and can be set aside at any time by the competent court.

RRT 2008(2) Page 1406-1407 :- Rajasthan Land Revenue Act, 1956 –Sec. 84- Limitation Act, 1963-Sec. 5- Condonation of delay- Application u/Sec. 5 allowed & dealy condoned-Order of 28-05-1970/08-06-1970 & mutation dt. 23-12-1970 challenged-Appeal filed after 32 years-Length of period is not material for condonation of delay but sufficient cause is material – Addl. Divisional Commissioner held that substantial question of law & justice involved & decided to adjudicate the appeal on merits-Held, No illegality or jurisdictional error in the order.

28/1/2025
अति. संभा. आयुक्त
कोटा

इस प्रकार उपरोक्तानुसार न्यायिक दृष्टांत के आलोक में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि विधिविरूद्ध आदेश को कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। अपीलांट का अपील मेमो में यह कथन है कि विभिन्न वारिसान को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण तहसीलदार को समस्त विधिक वारिसान की जाँच कर पुनः नामांतरकरण हेतु भिजवाया है जो विधिसम्मत निर्णय है। अपीलांट को यदि पक्षकारों के बारे में उज्र है तो तहसीलदार के समक्ष सभी पक्षकारों को जुड़वाकर कार्यवाही करवाई जावे। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलीय न्यायालय) का निर्णय दिनांक 20.10.2022 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती

7. निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

28/1/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा